

परिषद की कानपुर ज़ोन के अन्तर्गत

नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अवासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थल: कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर ज़ोन),
आफिस काम्प्लेक्स (भू-तल), केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर

आवंटन/
नीलामी तिथि:
25-06-2013

समय: सुबह
10:30 बजे

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (आवंटन द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु लाख में)	पात्रता
हंसपुरम् योजना संख्या - 2, कानपुर			
मिनी अल्प आय वर्ग 18/41 प्रकार भवन (01)			
A-1149	41.00	4.97	अपजीकृत
छिबरामऊ योजना, छिबरामऊ			
दुर्बल आय वर्ग 18/40 प्रकार भवन (01)			
4/51	56/75	4.04	अपजीकृत

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु लाख में)	पात्रता
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-1) कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्गमीटर तक (01 नग)			
4812	162.00	11760.00 per sq.m.	अपजीकृत
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 (फेज-2) कानपुर			
मध्यम आय वर्ग 42/108 प्रकार भवन (01)			
6/129/60 (GEN)	114.63	18.60	अपजीकृत
उच्च आय वर्ग 97/242 प्रकार भवन (01)			
3/1536 (SC)	365.80	54.66	अपजीकृत
हंसपुरम् योजना संख्या - 2, कानपुर			
मिनी मध्यम आय वर्ग 45/75 प्रकार भवन (06)			
7/48 (OBC), 7/64 (GEN), 7/66 (GEN), 7/77 (GEN), 7/114 (SC), 7/118 (OBC)	75.69 to 112.69	10.73 to 15.08	अपजीकृत

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकानें एवं किरासक) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु लाख में)
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या - 3 (फेज-1), कानपुर		
दुकानें (28 नग)		
S-01	14.97	15.28
S-02 to S-10	14.42 to 14.97	14.95 to 15.28
SH-03	18.073	14.97
SH-04	18.172	15.02
SH-05, SH-06	18.073	14.97
SH-07	22.668	17.13
SH-08	18.073	14.97
SH-09	18.172	15.02
SH-10	18.073	14.97
SH-11, SH-12	18.834	15.33
SH-13	18.073	14.97
SH-14	18.172	15.02
SH-15	18.073	14.97
SH-16	22.668	17.13
SH-17 to SH-20	18.073 to 18.172	14.97 to 15.02
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव		
दुकानें (12 नग)		
S-6 to S-9	9.74 to 10.21	5.586 to 5.856
S-10, S-11	10.21	5.856
S-12 to S-17	9.74 to 10.21	5.586 to 5.856
किरासक (02 नग)		
K-1, K-2	7.455	3.977

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु लाख में)	एफ0 ए0 आर0 ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
केशवपुरम् योजना संख्या - 1, कानपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड (04 नग)				
H/CP-2	135.00	30240.00	1.20	40%
H/CP-6	157.05	30240.00	1.20	40%
H/CP-5	187.92	33264.00	1.20	40%
JC-1	1308.13	33264.00	1.20	30%
संस्थागत भूखण्ड (09 नग)				
SEC-I/A	1800.00	24948.00	-	-
SEC-I/B	1800.00	22680.00	-	-
SEC-I/C	1545.00	24948.00	-	-
SEC.M-2	997.50	22680.00	1.50	35%
SEC.M-3	997.50	22680.00	1.50	35%
SEC.M-4	997.50	22680.00	1.50	35%
SEC.M-5	997.50	22680.00	1.50	35%
SEC.M-6	997.50	24948.00	1.50	35%
G/INS-1	2064.62	22680.00	1.50	35%
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या - 3 (फेज-2), कानपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड (14 नग)				
3/COM-1/22	605.00	23520.00	1.20	40%
3/COM-1/27	692.71	25872.00	1.20	40%
6/COM.1/3	420.00	23520.00	1.50	55%
6/COM.1/4	450.00	23520.00	1.50	55%
6/COM.1/5	450.00	23520.00	1.50	55%
6/COM.1/6	606.00	25872.00	1.50	55%
7/COM-1/4	495.00	25872.00	2.00	40%
7/COM-1/5	450.00	23520.00	2.00	40%
7/COM-1/6	450.00	23520.00	2.00	40%
7/COM-1/7	450.00	23520.00	2.00	40%
7/COM-1/9	450.00	23520.00	2.00	40%
7/COM-1/10	450.00	23520.00	2.00	40%
7/COM-1/11	450.00	23520.00	2.00	40%
7/COM-1/12	480.00	25872.00	2.00	40%
प्रीमियम भूखण्ड (06 नग)				
3/PR-27	1130.04	19404.00	1.20	40%
8/PR-13	450.00	17640.00	1.50	55%
8/PR-14	450.00	17640.00	1.50	55%
9/PR-5	600.00	17640.00	2.00	40%
9/PR-6	480.00	17640.00	2.00	40%
9/PR-7	600.00	19404.00	2.00	40%
हंसपुरम् योजना संख्या - 2, कानपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड (11 नग)				
C/C-1	201.60	19712.00	-	-
C/C-2	201.60	17920.00	-	-
6A-CP-2	225.00	19712.00	-	-
B-1/10	63.00	19712.00	-	-
B-1/11	45.00	17920.00	-	-
B-1/13	45.00	17920.00	-	-
B-1/14	45.00	17920.00	-	-
B-1/15	45.00	17920.00	-	-
7/CP-2, 7/CP-3, 7/CP-4	450.00	17920.00	-	-
संस्थागत भूखण्ड (04 नग)				
2A-INS-1	1731.30	13440.00	-	-
2A-INS-2, 2A-INS-3	551.00	13440.00	-	-
2A-INS-4	712.50	14784.00	-	-
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) [लीज पर]				
SECTOR 1A	839.12	9680.00	-	-
SECTOR 1B	1805.00	9680.00	-	-
SECTOR 5G	834.75	9680.00	-	-
SECTOR 5H	1627.50	9680.00	-	-

नोट:- (1) प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेन्ट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (2) प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1, 5, 1 के अनुसार प्रशरगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर व अनुमत्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।

© चिन्ह कार्नर की सम्पत्ति का द्योतक है।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:- योजना/शहर का नाम
सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल
आरक्षित मूल्य टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु
बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम आरक्षण श्रेणी
(राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
पत्र व्यवहार का पता दूरभाष/मोबाइल नम्बर
ई-मेल आईडी
दिनांक/स्थल/नाम-पिता/पति का नाम- संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम ...
पूरा पता

सीलबिड का प्रारूप:- (1) योजना/शहर का नाम (2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल (3) आरक्षित मूल्य
(4) उच्चतम मूल्य (5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु
(6) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक एवं बैंक का नाम
(7) आवेदक का नाम (8) पिता/पति/फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम
(9) आरक्षण (यदि देय है तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (10) पत्र व्यवहार का पता (11) दूरभाष/मोबाइल नं.
ईमेल आईडी

घोषणा (आवेदन एवं सीलबिड दोनों के साथ आवश्यक): (1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ "जैसी है

जहाँ है" के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवस्थक बच्चों के नाम सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ0प्र0 के किसी नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवस्थक बच्चों की वर्ष 2012-13 की समस्त श्रोतों से आय रु से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि स्थान आवेदक के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें: (1) आवेदन/सीलबिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सीलबिड/आफर अंकित करते हुए रु 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सीलबिड फार्म कार्यालय से अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से दो दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिये। जिन सम्पत्तियों में कार्नर शुल्क नहीं जोड़ा गया है, उनमें कार्नर शुल्क पृथक से लिया जायेगा। डाक से भी सीलबिड भेजी जा सकती है, जो नीलामी की तिथि से दो दिन (कार्यदिवस) से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिये अन्यथा विचार नहीं किया जायेगा। (3) आवेदन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सीलबिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। (4) सम्पत्तियों की संख्या व मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशान्तर सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/ पे-आर्डर जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 24/06/2013 तथा सीलबिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5:00 बजे तक निम्नलिखित पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा नीलामी के समय टोकन

प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) अपूर्ण तथा कटेफटे एवं शर्तों आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार व स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10) आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। (11) एक आवेदक एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। (12) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (13) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सीलबिड फार्म प्राप्त करने के पते निम्नलिखित हैं:-
(1) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर (2) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 5सी-101-104 योजना संख्या-2 हंसपुरम्, हमीरपुर रोड, कानपुर (3) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद लोहियापुरम् योजना फतेहगढ़ (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद योजना संख्या-1 औरैया (5) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद एस-5 एवं 6 चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव (6) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तालपुरा योजना, झाँसी (7) कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त {कानपुर जोन} उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स {भू-तल} केशवपुरम् कल्याणपुर, कानपुर।

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे कहें

डायल करें: 1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website: <http://www.upavp.com> E-mail: upavp@sanchar.net.in